

संख्या-ई.स. 1744 / जी.एस.
दिनांक: 21/9 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक: 2898/सम्बद्धता/06 दिनांक 30-06-2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवा, (चुनार) मीरजापुर को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० (त्रि वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- २- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/ शिक्षकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- ३- महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध तंत्र का विश्वविद्यालय से अनुमोदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- ४- महाविद्यालय द्वारा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।
- ५- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ६- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियों आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, २१, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-२
- ४- प्रबन्धक/प्राचार्य, पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवा, (चुनार) मीरजापुर।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 3/ दिसम्बर, 2009

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू०वि०वि०/सम्बद्धता/०३(एक)/2009/421, दिनांक 21.08.2009 एवं पत्रांक-पू०वि०वि०/सम्ब०/०९(एक)/2009/1257, दिनांक 13.10.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवां, चुनार, मिर्जापुर को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अंतर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
 2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
 3. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिए जाएंगे।
 4. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या-4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007, दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या-2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007, दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
 5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
- (2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-5112(1)/सत्तर-6-2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, 21 राज एवेन्यू, इन्सटीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002
5. प्रबन्धक, पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवां, चुनार, मिर्जापुर।
6. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 62 सितम्बर, 2011

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-कु0स0-सम्बद्धता/04/130/2011, दिनांक 28.06.2011 एवं पत्रांक-कु0स0-सम्बद्धता/04/162/2011, दिनांक 25.07.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवां, चुनार, मिर्जापुर को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अंतर्गत एलएल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिए जाएंगे।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या-4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007, दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या-2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007, दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-1645(1)/सत्तर-6-2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छाठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002
- ✓ 5. प्रबन्धक, पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवां, चुनार, मिर्जापुर।
6. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।